फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

महीने में एक बार छापते हैं, पाँच हजार प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

नई सीरीज नम्बर 227 मई 2007

मजदूरों को दिखाना ही नहीं (7)

गुत्थी उत्पादन छिपाने की..... चोरी में चोरी

✱ कभी-कभार के शोषण की बजाय नियमित शोषण ऊँच-नीच, अमीरी-गरीबी वाली समाज व्यवस्थाओं का आधार होता है। नियमित शोषण के लिये शोषण-तन्त्र आवश्यक होते हैं। और चूँकि शोषितों द्वारा शोषण का विरोध स्वाभाविक है, किसी भी शोषण-तन्त्र को नियमित दमन की आवश्यकता होती है। शास्त्र और शस्त्र की जुगलबन्दी के संग पृथ्वी पर दमन-तन्त्रों का श्रीगणेश हुआ। दमन-तन्त्र का ही दूसरा नाम, अधिक प्रचलित नाम सरकार है। ✱ दमन-तन्त्र की विशेषता यह है कि यह खर्चा माँगता है। सरकार के खर्च का आदि-स्रोत टैक्स हैं और प्रकृति के बाद हाथ उत्पादन के आदि-स्रोत, इसीलिये कर = हाथ, कर = टैक्स। अधिक समय नहीं हुआ, महलों-किलों में रहने वाले राजा-सामन्त सरकार थे और भूदासों से उपज का छठा हिस्सा ($16^2/_3$%) वसूलने का कानून था। आज विधायक-सांसद-अधिकारी वाली सरकार के खर्च की पूर्ति के लिये कुल उत्पादन व खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा लिया जाता है। सरकारों द्वारा उपज-खपत का लगभग 70 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के टैक्सों के रूप में वसूलने के कानून हैं। ✱ भूदासों द्वारा अपनी उपज का $83^1/_3$% रखना कानून अनुसार था। उत्पादकता में छलाँगें लगी हैं और आज मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका एक-दो प्रतिशत मजदूरों के हिस्से में आना कानून अनुसार है। बाकी के 98 प्रतिशत में शोषण-तन्त्र और दमन-तन्त्र में हिस्सा-बाँट होती है। ✱ कानूनी और गैर-कानूनी में चोली-दामन का साथ रहा है। प्रहरी, कोतवाल, मन्त्री द्वारा रिश्वत लेने के किस्से बहुत पुराने हैं। दरअसल दमन-तन्त्र रिश्वत की चर्बी के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिये नगर-प्रान्त-देश के दायरों में कैद हो कर भ्रष्टाचार आदि को मूल समस्या मानना नादानी के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, गैर-कानूनी को मर्ज और कानून को दवा पेश कर कानून अनुसार दमन-शोषण को छिपाने का नुस्खा पुराना है, यह शुद्ध काँइयापन है। ✱ आज नई बात दमन-तन्त्र के संग-संग शोषण-तन्त्र में भी कानूनों का उल्लंघन, गैर-कानूनी कार्यों का बहुत-ही बड़े पैमाने पर होने लगना है। मण्डी-मुद्रा के साम्राज्य में कानूनों का यह अर्थहीन होना राजाओं-सामन्तों के अन्तिम चरण में कानूनों के अर्थहीन होने जैसा लगता है। *दिल्ली और इसे घेरे नोएडा, सोनीपत, बहादुरगढ, मुड़गाँव, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में कार्य करते 70-75 प्रतिशत मजदूरों को अब दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं को विलाप की वस्तु की बजाय नई सम्भावनाओं से ओत-प्रोत के तौर पर देखना बनता है।*

मण्डी-मुद्रा की गतिक्रिया के चलते कानूनी/गैर-कानूनी में हुई इस उलट-फेर के सन्दर्भ में यहाँ हम इन दो सौ वर्षों के दौरान मालिकाने में आये परिवर्तनों पर चर्चा जारी रखेंगे।

○ फैक्ट्री-कम्पनी की स्थापना व संचालन के लिये आज जो पैसा आवश्यक है उसका करीब 15 प्रतिशत शेयरों से आता है और 85 प्रतिशत कर्ज से। यह औसत के तौर पर है और यहाँ हम उल्लेखनीय कम्पनियों की ही बातें कर रहे हैं। अनउल्लेखनीय फैक्ट्रियों-कम्पनियों की आई बाढ और उनकी भूमिका की चर्चा आगे आने वाले अंकों में करेंगे।

कम्पनी के शिखर पर बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, विशेषकर चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य निदेशकों का सामान्य तौर पर शेयरों में भी 2-4 प्रतिशत से अधिक पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं होता। किसी निदेशक के पास निजी शेयरों के रूप में जो शेयर होती हैं वे तो और भी कम होती हैं, बहुत-ही कम होती हैं। ऐसे में कम्पनी के निदेशक मण्डल में शामिल होना, डायरेक्टर बनना किसी करतब से कम नहीं है। और, चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर बनना तथा बने रहना तो चमत्कारों की श्रेणी में आता है।

○ फैक्ट्री-कम्पनी में लगे 85 प्रतिशत पैसों को कर्ज रूप में देने वाली संस्थायें और उनके बड़े साहब आमतौर पर पृष्ठभूमि में रहते हैं। वे पर्दे के पीछे से कठपुतलियों पर नजर-नियन्त्रण रखते हैं। फैक्ट्री-कम्पनी में शेयरों के रूप में लगे 15 प्रतिशत पैसों को कुँजी प्रस्तुत किया जाता है। फैक्ट्री-कम्पनी की यह चाबी निदेशक मण्डल के नियन्त्रण में बताई जाती है। और, आमतौर पर निदेशक मण्डल एक औपचारिकता मात्र नजर आता है। फैक्ट्री-कम्पनी का चेहरा चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर होता-होती है। और, ***चेहराविहीनता के इस दौर में चेहरे मुखौटे मात्र हैं।***

○ फैक्ट्री-कम्पनी में लगे पैसों में हजारवें हिस्से से भी कम की हिस्सेदारी वाले व्यक्ति, चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर को "मालिक" कहना एक तरफ जहाँ नादानी है वहीं दूसरी तरफ अति काँइयेपन से बिछाया जाता जाल है। नादानी व्यक्ति पर केन्द्रित हो कर सामाजिक प्रक्रिया और वर्तमान व्यवस्था को ओझल कर परिवर्तन के प्रयासों व मेहनत को दलदल में ले जाती है। काँइयापन ऊँच-नीच की प्रक्रिया और वर्तमान व्यवस्था को निशाने पर आने देने से रोकने के लिये समय-समय पर बलि का प्रबन्ध करता है, इस-उस साहब को पाप की मूर्ति करार दे कर ठिकाने लगाया जाता है।

○ व्यक्ति द्वारा व्यक्तित्व त्याग कर मुखौटा बनना, मुखौटा बनने के लिये तन तानना और मन मारना की पहेली को बूझना मुर्गी-अण्डे में पहले कौन का उत्तर देना है। इस सन्दर्भ में चुटकी-झटके हमें चमत्कार की बन्द गली में ले जाते हैं। प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया को देखना-समझना बनता है....

○ फैक्ट्री-कम्पनी का चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर बनने-बने रहने के लिये अपने जैसे अनेकानेक लोगों को साधना-साधे रखना प्राथमिक जरूरत है। फिर, अपने स्वयं के स्तर को बड़े साहबों वाला बनाये रखना भी आवश्यक है। और, बड़े साहबों का स्तर स्थिर नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है। बड़े साहब के स्तर की गतिशीलता बढ़ते पैमाने पर पैसों की माँग करती है।

शिखर पर बढते भ्रष्टाचार का यह एक कारण है। कम्पनी के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के अन्य अधिकारियों द्वारा कम्पनी की चोरी करने के यह महत्वपूर्ण कारण हैं। (जारी)

और बातें यह भी

प्रीसन मेडिकेयर मजदूर: "सीकरी-प्याला रोड़ पर स्थित दवाई फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1600-1800 रुपये थी। लोग छोड़-छोड़ कर जाने लगे तब मार्च में कम्पनी ने 200 रुपये बढा हैल्परों की तनखा 1800-2000 रुपये की है।"

मानव रचना एजुकेशनल सोसाइटी वरकर : "सैक्टर-43 स्थित मानव रचना के परिसर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनखा 2000 रुपये है। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

इण्डिया फोर्ज मजदूर : " प्लॉट 28 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री ***(बाकी पेज दो पर)***

दर्पण में चेहरा–दर–चेहरा

चेहरे डरावने हैं.... आईना ही नहीं देखें या फिर हालात बदलने के प्रयास करें?

फरीदाबाद फैब्रिकेटर मजदूर : "प्लॉट 311, 312, 313 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में काम करते 550 वरकरों में सिर्फ 8 स्थाई मजदूर हैं और बाकी सब को 4 ठेकेदारों के जरिये रखा है। फैक्ट्री में दो शिफ्ट हैं – सुबह 8½ से रात 9 बजे तक और रात 8½ से अगले रोज की सुबह 8½ तक। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। हैल्पर की तनखा 2500 रुपये है पर इसमें से ठेकेदार 500 रुपये ले लेता है और चर्चा है कि इन 500 में से डायरेक्टर साहब 200 रुपये लेता है। तनखा में से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं – ई.एस.आई. की कच्ची पर्ची देते हैं और नौकरी छोड़ने पर पी.एफ. राशि निकालने वाला फार्म नहीं भरते। कार्य के दौरान चोट लगने पर गेट पर बैठा देते हैं – ठेकेदार आयेगा तब दवाई करवायेगा। फैक्ट्री में 60 पावर प्रेस हैं और महीने में चार हाथ कट जाते हैं – एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भर कर ई.एस.आई. अस्पताल भेज देते हैं। फैक्ट्री में मारुति, क्लास, एस के एच (नोएडा) का काम होता है।"

वी जी इन्डस्ट्रीयल इन्टरप्राइजेज वरकर: "31 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में स्टाफ कहे जाते 20-25 लोग ही स्थाई हैं और 500 मजदूरों को 10-12 ठेकेदारों के जरिये रखा गया है। ठेकेदारों के जरिये रखे 500 में 15-20 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। मिग वैल्डिंग, स्पॉट वैल्डिंग, पेन्टिंग के संग फैक्ट्री में 40 पावर प्रेस तो होंगी ही और प्रेसों पर उँगली-हाथ कटते रहते हैं। एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरते, ई.एस.आई. अस्पताल नहीं ले जाते – हाथ कटने पर मजदूर को एन एच 5 में डॉ. शर्मा अस्पताल ले जाते हैं। हैल्परों की तनखा 2000 रुपये और ऑपरेटरों की 2600-4000 रुपये। फैक्ट्री में दो शिफ्ट हैं – सुबह 8 से रात 8½ तक और रात 8 से अगले रोज सुबह 8 बजे तक। पार्टनर नहीं आने पर लगातार 24 घण्टे काम करना पड़ता है। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। बहुत ज्यादा काम तो कम्पनी को चाहिये ही, सटीक समय पर भी चाहिये – 8 बजे मतलब 8 बजे! मारुति के पुर्जे गुड़गाँव में असेम्बली लाइन पर पहुँचाने के लिये छोटे ट्रक हर समय दौड़ते रहते हैं। वी जी में तनखा देरी से – फरवरी का वेतन 25 मार्च को जा कर दिया था और मार्च की तनखा आज 19 अप्रैल तक नहीं दी है।"

कृष्णा प्रिन्ट्स मजदूर : "13/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 500 वरकर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। पैसे 12 घण्टे के 100 रुपये के हिसाब से देते हैं। फरवरी और मार्च की तनखायें आज 21 अप्रैल तक नहीं दी हैं। फैक्ट्री में पीने के पानी का प्रबन्ध भी नहीं है।"

एस पी एल इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 21-22 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में डिप्लोमा किये वरकरों की तनखा 4000 रुपये बताते हैं। इन 4000 में से 400 रुपये तो कम्पनी सेक्युरिटी के नाम पर काट लेती है। फिर पी.एफ. के 12% और ई.एस.आई. के 1.75% तनखा से निकल जाते हैं। महीने में 15 दिन तो कम्पनी हम से प्रतिदिन 16 घण्टे काम करवाती है और बाकी के 15 दिन रोज 10½ घण्टे। साप्ताहिक छुट्टी नहीं। दो घण्टे, आठ घण्टे, रविवार को ड्युटी के लिये कम्पनी हम डिप्लोमा वालों को कोई पैसे नहीं देती। जबरन ओवर टाइम और ओवर टाइम के पैसे नहीं! वास्तव में एस.पी.एल. कम्पनी हम डिप्लोमा वालों से बेगार करवाती है – हम से हर महीने 172 घण्टे बेगार ली जाती है।"

नेवाड़ कार्बन एण्ड सिरेमिक्स (इम्पीरियल) मजदूर : "प्लॉट 175 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में वजन वाला काम है – भट्टियों में लगने वाली ईंट बनती हैं। फैक्ट्री में काम करते 80 मजदूरों में 5-7 ही स्थाई हैं और बाकी को तीन ठेकेदारों के जरिये रखा है। ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 8 घण्टे के 60 रुपये के हिसाब से महीने के पैसे देते हैं। तनखा देरी से – मार्च का वेतन आज 14 अप्रैल तक नहीं दिया है।"

व्हर्लपूल वरकर : "प्लॉट 27, 28, 29 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 10-15 ठेकेदारों के जरिये कम्पनी ने 1000-1500 मजदूर रखे हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. की राशि के तौर पर तनखा में से 280 रुपये काटते हैं। ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड देते हैं, पी.एफ. की पर्ची तो इन 6-7 वर्ष में एक भी नहीं दी है। पुणे की विकास कम्पनी का ठेका व्हर्लपूल मैनेजमेन्ट ने खत्म कर दिया पर वरकरों को उनकी पी.एफ. राशि नहीं मिली है। कनवेयर पर मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। लोडिंग वालों की शिफ्ट सुबह 8½ बजे शुरू होती है और रात 12-2-2½ बजे खत्म होती है। रोज 12 घण्टे काम पर महीने के 2500-3200 रुपये बनते हैं।"

और, किस्सा सुपर फैशन का

सुपर फैशन मजदूर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में जिन्हें कैजुअल वरकर कहते हैं उनकी ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं और ऐसे वरकर इस समय 150 के करीब हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 8 घण्टे रोज पर 30 दिन के 2000 रुपये (इन में धागा काटने वाली महिला मजदूर भी हैं) और कारीगरों को पीस रेट से। धागा काटने वाले पुरुष मजदूरों को 50 पैसे प्रति पीस जबकि कम्पनी 1 रुपया 10 पैसे प्रति पीस ठेकेदार को देती है। इधर 3-4 महीने से काम कम है और 7-8 ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की सँख्या 350 के करीब है। फैक्ट्री 3 मंजिल की है और 600 तो सिलाई की मशीन हैं। काम आने पर ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर 800-1000 हो जाते हैं। फैक्ट्री में 1500 मजदूर हो जाते हैं।

"सुपर फैशन में 400 स्थाई मजदूरों में से 300 के करीब फिनिशिंग विभाग में हैं और 50 सैम्पल बनाते सिलाई कारीगर। फैक्ट्री में सुबह 9½ से साँय 6¼ की शिफ्ट है पर आमतौर पर रात 8¼ तक रोकते हैं – फरवरी में तो पूरे महीने सुबह 9½ से रात 2¼ बजे तक काम करवाया। स्थाई मजदूरों को ही पे-स्लिप दी जाती है और इसमें कम्पनी महीने में 4-6-10 घण्टे ओवर टाइम के दिखाती है जिनका डबल की दर से तनखा के संग 7 तारीख को भुगतान करती है। वास्तव में हर महीने 50 से 200 घण्टे ओवर टाइम के होते हैं और कम्पनी इनके पैसे 27-28 तारीख को सिंगल रेट से देती है – जो पैसे तनखा के समय ओवर टाइम के रूप में दिये थे उन्हें इन पैसों में काट लेती है।

"साहब लोग गाली भी देते हैं। पीस रेट कम देने पर ठेकेदारों के जरिये रखे सिलाई कारीगरों ने 2 मार्च को कम्पनी अधिकारियों की पिटाई की। कम्पनी ने स्थाई मजदूरों पर पुलिस के सम्मुख गवाही देने के लिये दबाव डाला पर स्थाई मजदूरों ने यह करने से इनकार कर दिया।

"सुपर फैशन के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर मदन कुकरेजा हैं और कम्पनी की ओखला फेज-2 तथा यहाँ प्लॉट 262 ए-बी सैक्टर-24 में भी फैक्ट्रियाँ हैं। सुपर फैशन का माल रीबोक, ग्रान्ट थॉमस खरीदते हैं।"

मितासो वरकर : "प्लॉट 63, सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 6 विभाग हैं और हर विभाग में एक ठेकेदार। कुल 200 मजदूर हैं और सब को ठेकेदारों के जरिये रखा है। हैल्परों को 8 घण्टे के 80 रुपये के हिसाब से तनखा। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। पावर प्रेस विभाग में काम ज्यादा है और हाथ कटते हैं – अप्रैल में 19 तारीख तक 4 की उँगलियाँ कटी। एक-दो दिन प्रायवेट में इलाज करवा कर निकाल देते हैं। तनखा देरी से – हर ठेकेदार अलग तारीख पर देता है। मार्च का वेतन 14 अप्रैल तक नहीं दिया तब प्रेस शॉप में मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। कम्पनी ने फौरन ठेकेदार को बुला कर तनखा बँटवाई।"

और बातें यह भी.... (पेज एक का शेष)

में 250 वरकर 10-12 ठेकेदारों के जरिये रखे हैं और इन में हैल्परों की तनखा 2000 रुपये है। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट – ओवर टाइम के पैसे, सिंगल रेट से। इधर 50 स्थाई मजदूरों के लिये जो मैनेजमेन्ट-यूनियन दीर्घकालीन समझौता हुआ है उसमें बेसिक तनखा कम करके, बेसिक तनखा घटा कर भत्तों के रूप में पैसे बढाये हैं।"

वास्तु मैटल वरकर : "प्लॉट 305 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1900 रुपये थी और चाय के लिये 100 रुपये। इधर तनखा 2100 कर दी है पर चाय के पैसे बन्द कर दिये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

इन्डो टैक्स मजदूर : "प्लॉट 3 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों की तनखा 2100-2200 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। कैजुअल वरकरों की तनखा 2400 रुपये – पहले महीने ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं, उसके बाद नहीं।"

प्रतिदिन 8 घण्टे काम और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी पर 01.04.2007 से हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा प्रतिमाह इस प्रकार हैं : अकुशल मजदूर (हैल्पर) 3510 रुपये; अर्धकुशल अ 3640 रुपये; अर्धकुशल ब 3770 रुपये; कुशल श्रमिक अ 3900 रुपये; कुशल श्रमिक ब 4030 रुपये; उच्च कुशल मजदूर 4160 रुपये। सामान्य स्टाफ में दसवीं से कम 3640 रुपये; 14वीं से कम 3900 रुपये; स्नातक 4160 रुपये; हलका वाहन चालक 3900 रुपये; भारी वाहन चालक 4160 रुपये; सुरक्षा गार्ड बिना हथियार 3640 रुपये। कम-से कम का मतलब है इन से कम तनखा देना गैरकानूनी है। वैसे इन तनखाओं में मजदूर अपने बच्चों को ढँग का पाव-पाव दूध और माता-पिता को ढँग की दाल नहीं खिला सकते।

कानून हैं शोषण के लिये छूट है कानून से परे शोषण की

एस्बेसटोस के बेहद खतरनाक प्रदूषण वाली ***मकास ब्रेकशू***, 111सै-6, में 35 स्थाई मजदूरों को मार्च की तनखा दे दी पर 80 कैजुअल वरकरों को 13 अप्रैल तक नहीं दी थी; ***जगसनपाल फार्मास्युटिकल्स***, 12/4 मथुरा रोड़, कैजुअलों की तनखा 2100 रुपये, ठेकेदार के जरिये रखी महिला मजदूरों को 8 घण्टे के 64 रुपये, ई.एस.आई. व पी.एफ. दोनों की नहीं; ***परफैक्ट पैक***, 134 सै-24, दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; ***केसलिक श्रेडर***, 55 इन्ड. एरिया, सुबह 8½ से रात 9, 1½, अगले रोज सुबह 5½ बजे तक रोक लेते हैं, ओवर टाइम सिंगल रेट से; ***श्याम टैक्स इन्टरनेशनल***, 4 सै-6, ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को मार्च की तनखा 19 अप्रैल तक नहीं; ***शिवालिक ग्लोबल***, 12/6 मथुरा रोड़, मार्च की तनखा 21 अप्रैल तक नहीं; ***जय दुर्गे***, सै-24, हैल्पर की तनखा 1500 रुपये और ऑपरेटर की 2000, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; ***मिण्डा स्टैम्पिंग***, 56 डी-2 इन्ड. एरिया, हैल्पर की तनखा 1800 रुपये और ऑपरेटर की 2200; ***सुप्रीम प्लास्टिक***, 73 सै-6, ड्युटी 12 घण्टे की, ओवर टाइम सिंगल रेट से; ***यू. के. इंजिनियरिंग***, 50 सै-24, हैल्परों की तनखा 1800 रुपये, ई.एस. आई. व पी.एफ. नहीं, ऑपरेटरों की तनखा 2200-2400 रुपये; ***बोल्ट टाइट***, 43 व 77 सै-6, पाँच ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों में हैल्परों की तनखा 1800-2100 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं; ***मेट्रो कोरपोरेशन***, 24 इन्ड. एरिया, हैल्परों की तनखा 1800 रुपये; ***वेल्डन स्लो प्लास्ट***, 92 सै-6, दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की; ***अल्पिया पैरामाउन्ट रबड़***, 60 सै-25, हैल्परों की तनखा 2000 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ़.नहीं; ***कृष्णा इन्टरप्राइजेज***, 25 सै-6, पी.एफ. 40 मजदूरों में किसी का नहीं; ***अरिहन्त इंजिनियरिंग***, 113 सै-6, हैल्परों की तनखा 2000 रुपये और ऑपरेटरों की 2200-2500, पावर प्रेस पर हाथ कटने के बाद ई.एस.आई. की कच्ची पर्ची; ***न्यू हिन्दुस्तान***, 91 सै-6, हैल्पर की तनखा 2200 रुपये; ***साँई इंजिनियरिंग***, 37-जी सै-6, हैल्परों की तनखा 2000 रुपये और प्रेस ऑपरेटरों की 2200-2500;.....

नोएडा से -

ऋतिका सिस्टम मजदूर : "सी-22/18 सैक्टर-57, नोएडा स्थित फैक्ट्री में रोज 2-3 घण्टे ओवर टाइम करवाते हैं। ओवर टाइम को इनसेन्टिव खाते में डाल कर इसका भुगतान सिंगल रेट से करते हैं। कम्पनी यह पैसे तनखा के साथ देती थी पर मार्च माह के आज 21 अप्रैल तक नहीं दिये हैं।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,एन.आई.टी
फरीदाबाद–121001

सेक्युरिटी गार्ड

हरियाणा इन्डस्ट्रीयल सेक्युरिटी सर्विस गार्ड : "हाउसिंग बोर्ड मार्केट, सैक्टर-7 में कार्यालय वाली एच.आई.एस.एस. के 2500 के करीब गार्ड फरीदाबाद में लगभग 500 फैक्ट्रियों में ड्युटी करते हैं। एक हजार के करीब सफाई कर्मी; हैल्पर व कारीगर भी यह ठेकेदार कम्पनी फैक्ट्रियों को सप्लाई करती है।

"आमतौर पर गार्डों को 12 घण्टे रोज और महीने के सब दिन ड्युटी करनी पड़ती है। कोई 26 जनवरी नहीं, कोई 15 अगस्त नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं – बीमारी या अन्य किसी कारण से साल में एक दिन भी छुट्टी कर ली तो उस दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं। दूसरा गार्ड नहीं आया तो 36 घण्टे लगातार ड्युटी करनी पड़ती है। इन 36 घण्टों में 12 घण्टों को ओवर टाइम कहते हैं पर इनका भी भुगतान सिंगल रेट से करते हैं। एच.आई.एस.एस. 36 घण्टे की ड्युटी करवाते समय भी रोटी के लिये पैसे नहीं देती। गार्ड को 36 घण्टे में दो बार बाहर ढाबे का भोजन करना पड़ता है जो कि महँगा भी पड़ता है।

"12 घण्टे की ड्युटी में थकान महसूस होती है और शरीर अकड़ जाता है। छत्तीस घण्टे की ड्युटी में तो मुर्दा ही हो जाते हैं। दिन की ड्युटी में तो मनोरंजन के लिये समय होता ही नहीं। रात की ड्युटी में मनोरंजन करने पर 5 घण्टे वाली नींद में कटौती करनी पड़ती है और इससे रात को भारी दिक्कत होती है – फैक्ट्री में चक्कर लगाते समय नींद में नशे में जैसे डगमगाते चलते हैं। मन ऊब जाता है।

"साप्ताहिक छुट्टी नहीं होने से वे गार्ड तो बहुत-ही ज्यादा परेशान होते हैं जो परिवार के बिना यहाँ रहते हैं। पानी भरना, सब्जी लाना, रोटी बनाना तो रोज रहते ही हैं, हफ्ते में राशन लाने, कपड़े साफ करने का सिरदर्द अलग से रहता है। घूमने-मिलने के लिये समय तो किसी गार्ड को नहीं मिलता। हर दिन ड्युटी के कारण मन में उबाल रहती है।

"भर्ती के लिये राशन कार्ड व प्रमाणपत्र के संग एक जमानती जरूरी है। फैक्ट्रियों में अन्दर काम करने के लिये नौजवानों को ही लेते हैं पर सेक्युरिटी गार्ड के तौर पर उन्हें कम ही रखते हैं। इसकी वजह नौजवानों की तड़ी-फड़ी, मस्ती, बोलचाल में गाली, रोज 12 घण्टे ड्युटी कम ही करना हैं। चालीस पार को फैक्ट्री के अन्दर काम देने से पहले ही मना कर देते हैं। चालीस पार को गेट पर गार्ड के रूप में पसन्द करते हैं। चालीस पार करते-करते कुटते-पिटते लोग टूट कर गार्ड लायक बन जाते हैं। ज्यादातर सेक्युरिटी गार्ड रिटायर अथवा अन्य कारणों से नौकरी छूटे चालीस वर्ष से अधिक आयु के मजदूर हैं।

"गेट खोलना-बन्द करना, आते-जाते माल की जाँच करना-गिनना, निकलते समय मजदूरों की तलाशी लेना, यह ध्यान रखना कि कोई अनजान व्यक्ति फैक्ट्री में नहीं जा सके, साहबों को सल्युट मारना, रात को चक्कर लगाना वाले चौकीदारी के काम हमारे हैं। लेकिन हम से मजदूरों की हाजिरी लगवाना, रजिस्टर में चालान दर्ज करवाना, माल चालान अनुसार है या नहीं यह सुनिश्चित करवाना वाले टाइम ऑफिस के काम भी अधिकतर फैक्ट्रियों में करवाये जाते हैं। दिन में गाड़ियों में बहुत माल आता-जाता है, साहब आते-जाते रहते हैं....

"एच.आई.एस.एस. में 12 घण्टे रोज ड्युटी करने पर गार्ड को 30 दिन के 2200 से 4300 रुपये देते हैं। अधिकतर गार्डों को 3000 से 3500 के बीच देते हैं। ई.एस. आई. व पी.एफ. सब की हैं। तनखा 13 और 14 तारीख को सुबह 9 से रात 12 बजे तक सैक्टर-7 दफ्तर जा कर लेनी पड़ती है। पे-स्लिप नहीं देते – एक पर्ची पर नाम और राशि लिख देते हैं जिसे कैशियर को देना होता है। एक रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाते हैं। ई.एस.आई. के 55 रुपये और पी.एफ. के 294 रुपये काटते हैं, यानी; दस्तावेजों में 8 घण्टे की ड्युटी, साप्ताहिक छुट्टी और हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाना दर्शाते हैं।

"महसूस तो गरीब को सब बात होती हैं। कम पैसे में कैसे गुजारा करें इसकी चिन्ता हर समय रहती है। लाल कार्ड पर महीने में 35 किलो गेहुँ 74 रुपये में सरकारी राशन की दुकान से, पिछली साल चीनी दी ही नहीं क्योंकि मण्डी में भाव ज्यादा होने के कारण डिपो वाले ने बोरी की बोरी वहीं बेच दी, 1300 लीटर मिट्टी के तेल में से 100 लीटर ही बाँटा जाता है .... डिपो वाला पार्षद को सिक्कों से तौलता है, अधिकारियों को गड्डियाँ देने की बातें करता है और महीने में एक ही दिन डिपो खोलता है। बेटी पढ रही है, बेटे का ब्याह कर दिया – कपड़े की दुकान पर नौकरी करता है। कम किराये के चक्कर में हम बिना बिजली के मकान में रहते हैं। मकान नीचा है – बरसात में नाली का पानी अन्दर आ जाता है। कड़ी लचक गई हैं, छत टपकती है और बरसात में गिरने का खतरा है....एक फैक्ट्री में 22 वर्ष कुशल मजदूर के रूप में परमानेन्ट नौकरी कर चुका हूँ।"

गुड़गाँव से – आग

गोल्फ कोर्स रोड़-सेन्ट थॉमस मार्ग चौराहे के निकट 2500 झुग्गियों की बस्ती है। झुग्गी निवासी प्लास्टिक-कागज-लोहे के टुकड़े बीनने, रिक्शा चलाने, नजदीक के चमकते घरों में झाड़ू-पौंचा व बर्तन-कपड़े साफ करने, बहुमंजिली इमारतों में कम्पनियों के कार्यालयों की सफाई करने के कार्य करते हैं। बस्ती में 23 अप्रैल को देर रात आग लगी जिसमें 800 झुग्गियाँ स्वाहा हो गई। ऐसे में 24 अप्रैल को साहबों के यहाँ सफाई के लिये झुग्गी निवासी नहीं गये। जिनकी झुग्गियाँ जल गई वे पड़ोसियों के साथ रहने के जुगाड़ और नये सिरे से झुग्गी बनाने में जुटे। बुधवार, 25 अप्रैल को भी झुग्गीवासी साहबों के यहाँ सफाई करने नहीं पहुँचे। कार्यालयों में सफाई क्यों नहीं हुई ? सफाई करने वाले क्यों नहीं आये ? कुछ साहब पूछताछ करने 24 को ही झुग्गी बस्ती में पहुँच गये थे, कुछ 25 को पहुँचे.....

किसकी सुरक्षा ?

गुड़गाँव में सुशान्त लोक जैसे क्षेत्रों में हर घर के सामने रात को सेक्युरिटी गार्ड होता है। घर के प्रवेश-द्वार की कीमत से गार्ड की जीवन-भर की तनखा कम ही बैठेगी।

सुबोध मारुति कार फैक्ट्री में कैजुअल वरकर था। निकाल दिये जाने पर उसने फरीदाबाद में भी फैक्ट्रियों में नौकरी की – स्वास्थ्य को खतरों और भारी तनाव के कारण छोड़ दी। सुबोध अब सेक्युरिटी गार्ड है। बैठना और नजर रखना, कारों के लिये गेट खोलना, आगन्तुकों से "किससे मिलना है ?" पूछना ..... 6 महीने से सुबोध रात को 12 घण्टे की ड्युटी कर रहा है। छह महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं। हर रात 12 घण्टे ड्युटी पर 30 दिन के सुबोध को 2000 रुपये देते हैं। दिन वाला गार्ड बीमार पड़ गया तो साहबों के एसोसियेशन ने दूसरे गार्ड का प्रबन्ध नहीं किया। सुबोध को लगातार 48 घण्टे ड्युटी करनी पड़ी कि कहीं नौकरी छूट न जाये.....परिवार दूर गाँव में है।

'फैशन एक्सप्रेस

प्लॉट 100 उद्योग विहार फेज 1, गुड़गाँव स्थित फैशन एक्सप्रेस फैक्ट्री में 100 स्थाई मजदूर और ठेकेदारों के जरिये रखे 150 वरकर काम करते हैं। निर्यात के लिये वस्त्र तैयार करती फैशन एक्सप्रेस की दो और फैकिट्रयाँ हैं जिनमें एक मानेसर में है।

ढर्रे के अनुसार फैशन एक्सप्रेस में भी यूनियन का स्थाई मजदूरों से ही वास्ता है। जुलाई 06 में यूनियन ने मैनेजमेन्ट को माँग-पत्र दिया। खींच-तान आरम्भ हुई। दो महिला मजदूरों ने कम्पनी के दो डायरेक्टरों के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत पुलिस को की। पुलिस की ढील पर यूनियन मामले को अदालत ले गई। जज ने डायरेक्टरों को एक दिन की हिरासत में भेजा और दो दिन बाद, 24 नवम्बर 06 को कम्पनी ने चार यूनियन नेताओं को नौकरी से निकाल दिया। फिर दबाव डाल कर दो महिला मजदूरों से इस्तीफे लिये। यूनियन-मैनेजमेन्ट खींचा-तान जारी रही। चार महिला मजदूरों ने कम्पनी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को यौन शोषण की शिकायत की और 20 मार्च 07 को स्थाई मजदूर काम बन्द कर फैक्ट्री के अन्दर बैठ गये। बैठने वालों में 40 से ज्यादा महिला मजदूर थी। फैक्ट्री में उत्पादन बन्द होने पर ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर काम की तलाश में चले गये। फैशन एक्सप्रेस यूनियन के समर्थन में कुछ अन्य फैक्ट्रियों की यूनियनें गुड़गाँव के कमला नेहरू पार्क में सभाओं में शामिल हुई। ऐसे में 8 अप्रैल को भारी सँख्या में पुरुष व महिला पुलिस फैशन एक्सप्रेस फैक्ट्री पहुँची और मैनेजमेन्ट, यूनियन तथा उप श्रमायुक्त के बीच सौदेबाजी के बाद समझौता हुआ। स्थाई मजदूरों ने 9 अप्रैल को काम शुरू कर दिया और फैशन एक्सप्रेस गेट पर सिलाई कारीगर चाहियें का इश्तहार लग गया।

(जानकारी "गुड़गाँव वरकर्स न्यूज" के मई 07 अंक से।)

जर्मनी में
ठेकेदारों के जरिये रखे जाते मजदूर

यूरोपियन यूनियन के काँइया साहब जानते हैं कि आधुनिक कारखानों में उत्पादन मजदूर के अपने कार्यस्थल से कुछ प्रकार के लगाव और भविष्य में रोजगार सुरक्षा की सम्भावना पर निर्भर है। अगर ठेकेदारों के जरिये रखे जाते मजदूरों का प्रतिशत एक हद से बढ जाता है तो स्थाई मजदूर बनने की सम्भावना से जुड़ा लालच समाप्त हो जाता है। ऐसे में काम करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है और उत्पादकता घट जाती है। इसलिये 2005 में यूरोपियन यूनियन ने सदस्य स्पेन सरकार को उसके क्षेत्र में ठेकेदारों के जरिये रखे जाते मजदूरों का प्रतिशत ज्यादा होने पर चेतावनी दी।

ब्रिटेन में ठेकेदारों के जरिये रखे जाते मजदूर 4.7% हैं। इनकी तुलना में जर्मनी में यह 1.7% हैं और कम लगते हैं पर इन दस वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ रहे हैं। मध्य-2006 में जर्मनी में 5 लाख मजदूर ठेकेदारों के जरिये रखे गये थे।

जर्मनी में सिर्फ 2.4%कम्पनियाँ ही ठेकेदारों के जरिये मजदूर रख रही हैं लेकिन 500 से ज्यादा वरकर रखने वाली कम्पनियों में यह प्रतिशत 35 है। ऐसे एक तिहाई मजदूर बिजली उपकरण और धातु उद्योग क्षेत्रों की बड़ी कम्पनियों में अकुशल मजदूर के तौर पर रखे गये हैं। हवाई जहाज बनाती हैम्बर्ग की एयरबस फैक्ट्री में 12 हजार स्थाई मजदूर हैं तो ठेकेदारों के जरिये रखे 5-6 हजार वरकर।

स्थाई मजदूरों के विरोध और साहबों के काँइयापन को धकेलती सामाजिक प्रक्रिया ठेकेदारों के जरिये रखे जाते मजदूरों की सँख्या बढा रही है। जर्मनी में इस सन्दर्भ में बदलते कानून देखिये : ठेकेदार के जरिये रखे मजदूर को 6 महीने बाद स्थाई करने के कानून में परिवर्तन कर 1994 में इसे 9 महीने किया, फिर 1997 में इसे 12 महीने किया, 2002 में 24 महीने किया, और 2003 में कानून ने ठेकेदार के जरिये रखे मजदूर को उस रूप में असीमित समय तक रखने की छूट दी।

जर्मनी में आमतौर पर ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को स्थाई मजदूरों के वेतन का 70%मिलता है लेकिन जनरल मोटर-ओपेल की बोखुम कार फैक्ट्री में यह एक तिहाई है। स्थाई मजदूरों ने 1999 में चाणचक्क हड़ताल कर कम्पनी की छँटनी योजना ठप्प की और 2004 में चाणचक्क हड़ताल कर फिर ऐसा ही किया तो कम्पनी ने दूसरा रास्ता अपनाया। एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि के इर्द-गिर्द अलग-अलग मजदूर से सौदेबाजी कर कम्पनी ने 3000 को निकाला। अगस्त 06 में जनरल मोटर की बोखुम कार फैक्ट्री में 6, 799 स्थाई मजदूर बचे थे (और ठेकेदारों के जरिये रखे 400 थे)। पुर्तगाल में फैक्ट्री बन्द, इंग्लैण्ड में फैक्ट्री में रात पाली खत्म की बातें और डेल्टा II कार मॉडल बाखुम फैक्ट्री में ला कर स्थाई मजदूरों का फैक्ट्री बन्द हो जाने का डर दूर करने के लिये जनरल मोटर कम्पनी माँग कर रही है कि ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों की सीमा 5% से बढा कर 15% की जाये। चेतावनी यह भी है कि डेल्टा II मॉडल से जनरल मोटर की यूरोप में एक और फैक्ट्री बन्द होगी। बोखुम कार फैक्ट्री के परिसर में जनरल मोटर के लिये काम करती 150 कम्पनियों पर 5% की सीमा लागू ही नहीं है। तुलना में बी एम डब्लू की लीपजिग में नई कार फैक्ट्री में 3400 स्थाई मजदूर हैं तो 1000 वरकर ठेकेदारों के जरिये रखे।

कम्पनियाँ ठेकेदार हैं। यूरोपियन यूनियन का और जर्मनी सरकार का समान काम के लिये समान वेतन का कानून है .... और इसमें है बड़ा छेद : यूनियन से समझौता! जर्मनी में सब ठेकेदार कम्पनियाँ यूनियनों से समझौते करती हैं और समान काम के लिये वेतन में भारी भेद का प्रबन्ध करती हैं।

नोकिया की मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री बोखुम में 1989 से है। यहाँ 2005 में प्रतिदिन 1-1½ लाख मोबाइल फोन बनते हैं। इन 5 वर्षों में स्थाई मजदूर 3000 से 2500 कर दिये गये हैं और यूनियन ने ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों की सँख्या को 550 से 800 की राह 2005 में 1200 करने के समझौते किये हैं।

ठेकेदारों के जरिये रखे जाते अधिकतर मजदूर युवा हैं। एक जगह रहने की अवधि घट रही है – 1997 में औसतन यह 3 महीने 3 दिन थी और 2003 में 2 महीने 3 दिन हो गई थी। जनरल मोटर फैक्ट्री में एक ठेकेदार कम्पनी ने 13½ यूरो प्रति घण्टा वेतन को उत्पादन बोनस काटा कर 7 यूरो प्रति घण्टा करने की कोशिश की तो उसके 150 वरकरों ने सामुहिक छुट्टी कर ली....

वेतन कम करने के लिये जर्मनी में साहब लोग न्यूनतम वेतन 7 यूरो प्रति घण्टा करने की कसरत कर रहे हैं (इस समय एक यूरो 56 रुपये से कुछ ज्यादा है)।

(जानकारी हम ने प्रोल-पोजीशन न्यूज के अप्रैल 07 अंक से ली है। इन्टरनेट पर देखें <www.prol-position.net>)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73